रुपये अब तक जमा हो चुके हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि पोस्टल सिस्टम को बैंकिंग सिस्टम में कन्वर्ट करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, इसमें केवल महिलाओं के, हमारी बहनों के साढ़े तीन करोड़ से अधिक खाते अभी तक खोले जा चुके हैं।

महोदय, आपको एक और बात जानकर खुशी होगी कि डाकघर निर्यात केंद्र एक ऐसी सुविधा बनी है, जिसके ज़रिये एक रिमोट एरिया से साधारण ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति दुनिया के किसी भी देश तक अपने सामान को पहुंचा सकता है। अब तक 867 डाकघर निर्यात केंद्र खोले गए हैं, जिससे 60 करोड़ से अधिक का निर्यात किया गया है। इसमें ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं, कर्णाटक के बेलगाम से एक बहन सृष्टि करंजिनी घर में बने वॉटर कलर अमेरिका को एक्सपोर्ट करती है, पंजाब के सरहिंद से एक भाई शिव कुमार आयुर्वेदिक दवाइयां एक्सपोर्ट कर रहे हैं, श्रीनगर से भाई आदिल अहमद खान गलीचे, रग्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, असम के सुदूर गोलाघाट से सैयद असद भाई जूट से बने हैंडबैग एक्सपोर्ट करते हैं और कोट्टायम, केरल से मैथ्यू जोसेफ नैचुरल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स निर्यात कर रहे हैं। आज डाकघर के ज़रिये इस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, उनका ग्लोबल रिकग्निशन भी है। यूनाइटेड नेशंस का जो ऑर्गनाइज़ेशन यूपीयू (UPU) है, उसने अभी रिसेंट्ली स्पेशल ज्यूरी अवार्ड दिया है, inclusive growth, inclusive trade के लिए डाकघर निर्यात केंद्र को यूपीयू से अवार्ड घोषित किया गया है। माननीय उपसभापति महोदय, डाकघरों में नवीनतम टैक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बेंगलुरु में एक three-dimensional printed डाकघर बना है। एक नया experiment किया गया, जिसमें 4 लाख से अधिक श्रमिक सुरक्षा बीमा खाते खोले गए। ओवरऑल इस 125 साल पुराने कानून के एवज में जो नया कानून लाया गया है, वह अति सरल भाषा में बना है। यह 17 क्लॉजेज़ का छोटा-सा कानून है और सारा फोकस मेल डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी पर और डाकघर से बैंकिंग सर्विसेज़ पर शिफ्ट होने का है।

The question was proposed.

श्री उपसभापति : माननीय सदस्यगण, मैं इस बिल पर बोलने वाले माननीय सदस्यों को आमंत्रित करने से पहले एक announcement करना चाहूंगा।

RECOMMENDATIONS OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

MR. DEPUTY CHIRMAN: I have to inform the hon. Members that the Business Advisory Committee in its meeting held today, that is, on 4th December, 2023, has allotted time for Government Legislative Business as follows:

1. Consideration and passing of the Chief Election Commissioner and the other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Bill, 2023.	**Six Hours**

2. Consideration and passing of the following Bills, as reported by Standing Committee, after they are passed by Lok Sabha: (a) The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (b) The Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023 (c) The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023	**Twelve hours (To be be discussed together)**
3. Consideration and passing of the Central University (Amendment) Bill, 2023, after it is introduced, considered and passed by Lok Sabha.	**Two hours**
4. Consideration and return of the Appropriation Bills relating to following Demands, after they are passed by Lok Sabha: (a) First Batch of Supplementary Demands for Grants for the year 2023-24; and (b) Demands for Excess Grants 2020-21	**Six hours (To be discussed together)**

GOVERNMENT BILL - *Contd.*

The Post Office Bill, 2023

श्री शक्तिसिंह गोहिल (गुजरात) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे पास कितना समय है?

श्री उपसभापति : आपके पास 15 मिनट का समय है।

श्री शक्तिसिंह गोहिल: माननीय उपसभापति महोदय, जब यह बिल लाया गया तो मूवर ऑफ दि बिल, मंत्री जी ने यहां इतिहास की कुछ बातें रखी हैं। मैं यह जरूर कहूंगा कि डाक सेवा उत्कृष्ट, प्रकृष्ट बनी, उसका इतिहास हजारों साल का है। एक वक्त था,जब मैसेज देने के लिए आवाज़ के जरिए, झंडे के जरिए, पंछियों के जरिए तरह-तरह के तरीके अपनाए जाते थे और धीरे-धीरे उसमें सुधार आता गया। हमारे देश में भी अलग-अलग तरीके से संदेशों का व्यवहार होता था। सर, 150 साल पहले अंग्रेजों ने इनको एकरूप में पिरोने की कोशिश की और भारतीय डाक को एक नया रंग और रूप मिला। अंग्रेजों ने यह जो किया, वह अवाम को फायदा पहुंचाने के लिए या ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उनका अपना इंटरेस्ट था, क्योंकि उनको इस देश में शासन करना था, उनका अपना एक हित था और व्यापारिक इंटरेस्ट भी था, तो इसको लेकर डाक सेवाएं शुरू की गईं। वॉरेन हैस्टिंग्स आए और उन्होंने 1766 में ईस्ट इंडिया कंपनी मिल के नाम से इसको एकरूप में बनाया। आगे चलते गए और इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट, लॉर्ड डलहौजी ने